न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री सर्वेश्वर निम्बार्क,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 156/2026

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. घीसालाल पुत्र स्वं. वीजाराम उम्र 44 वर्ष जाति सुथार 2. नरपतराम पुत्र स्वं. वींजाराम उम्र 39 वर्ष जाति सुथार 3. भूराराम पुत्र स्वं. वींजाराम उम्र 33 वर्ष जाति सुथार 4. लीलादेवी पुत्री स्वं. वींजाराम पत्नी श्री अमराराम उम्र 60 वर्ष 5. छगनीदेवी पुत्री स्वं. वींजाराम पत्नी श्री मेराराम उम्र 58 वर्ष 6. देवी पुत्री स्वं. वींजाराम पत्नी श्री पारसमल उम्र 45 वर्ष 7. चौथी पत्नी स्व. श्री वींजाराम जाति सुथार उम्र 80 वर्ष निवासीयान गोलिसो का वास, मीठोड़ा तह. सिवाना जिला बालोतरा (राज)		1. केसाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति सुथार निवासी लक्ष्मीनगर सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी (राज.)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री छत्रकरण भाटी, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 2 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 18.03.2026

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि सरहद मौजा सिणधरी चारणान, वर्तमान नवसर्जित राजस्व गांव गेहुँवाली नाड़ी, पटवार हल्का सिणधरी, तहसील सिणधरी की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खेत खसरा सं. 163 रकबा 91 बीघा 03 विस्वा, खसरा सं. 178 रकबा 08 विस्वा, खसरा सं. 186 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, खसरा सं. 207 रकबा 32 बीघा 07 विस्वा अवस्थित रहे है। कि उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण के हकपुर्वाधिकारी दादा रूपाराम पुत्र स्ताराम जाति वणाक (सुथार) का हिस्सा 1/2 खातेदारी मालिकाना स्वामित्व का था, प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान वाद पत्र रूपाराम वल्द रताराम के 1/2 हिस्से की भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतापराम के हिस्से के सम्बंध

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

में कोई विवाद या अनुतोष नहीं होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है, रूपाराम वल्द रताराम के हिस्से की भूमि के वर्तमान खसरा सं. 163 रकबा 7.2810 हैक्टयर, खसरा संख्या 186 रकबा 0.2589 हैक्टयर व खसरा संख्या 207/1 रकबा 2.6131 हैक्टयर कुल रकबा 10.1530 हैक्टयर भूमि है। प्रार्थीगण के हकपुर्वाधिकरी दादा रूपाराम का देहान्त सन् 1976 में हुआ, जिस पर फौतगी म्युटेशन सं. 141 दिनांक 17.04.1976 में प्रथम श्रेणी के वारिस वींजाराम (प्रार्थीगण के पिता), केसाराम पुत्र रूपाराम (विप्रार्थी) के नाम पारित किया गया किन्तु तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कानुन व नियमों को ताक में रखकर दिनांक 11.05.1976 को यह नोट अंकित कर दिया कि "वींजा पुत्र रूपाराम का रकबा 125 बीघा 10 विस्वा में काश्त कब्जा नहीं है, मौके पर काश्त कब्जा केसाराम वल्द रूपाराम व परतापा पुत्र रताराम का है, इसके कारण वींजाराम के नाम का नामान्तरण खारिज किया जाता है, व केसाराम पुत्र रूपाराम के नाम का नामान्तरण मंजुर किया जाता है"। जबकि ऐसा नोट अंकित कर केसाराम जो कि रूपाराम का प्रथम श्रेणी का वारित पुत्र था, के नाम नामान्तरण खारिज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था. अलावा इसके वादग्रस्त भूमि में रूपाराम के हिस्से की भूमि में बींजाराम का तथा बींजाराम के देहान्त के बाद प्रार्थीगण का बिना किसी दखल हस्तक्षेप के कायम रहा, जो आज रोज भी कायम है। कि ग्राम पंचायत सिणधरी को किसी भी पक्षकार के खातेदारी हकों का सृजन करने या समाप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, और न ही विधिनुसार ऐसा किया ही जा सकता है, अलावा इसके वादग्रस्त भूमि में 1ध्2 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आज रोज भी प्रार्थीगण का कायम है, तथा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रार्थीगण द्वारा काश्त बोई हुई है, अलावा इसके प्रार्थीगण के पिता वींजाराम व केसाराम के नाम से खाता डायरी भी जारी की गई है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 01 के हकपुर्वाधिकारी दादा रूपाराम पुत्र रताराम जन्म से हिन्दु धर्म के अनुयायी रहे है, जो जन्म से हिन्दु धर्म से शासित होते है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 01 का सयुक्त हिन्दु परिवार रहा व है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 01 पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान लागु होते है। इस प्रकार प्रार्थीगण के दादा रूपाराम वल्द रताराम का देहान्त होने पर का देहान्त होने पर हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण के पिता बीजाराम तथा केसाराम के नाम फौतगी म्युटेशन नियमानुसार भरा गया किन्तु तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी ने बिना किसी अधिकार एवं बिना किसी आधार के ही मिलावटी तरीके से विप्रार्थी सं. 01 से मिलावट कर वींजाराम की हद तक म्युटेशन खारिज करते हुए रूपाराम पुत्र रताराम के हिस्से की सम्पुर्ण भूमि का म्युटेशन विप्रार्थी सं. 01 ने अपने नाम से मंजुर करवा दिया, जिससे वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हक अधिकार खतरे में पड़ गये, जबकि ऐसा अंकन करते हुए भागतः म्युटेशन खारिज करने का या किसी खातेदार अथवा प्रथम श्रेणी के वारिस पुत्र के खातेदारी अधिकार तय करने का कोई अधिकार सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी को नहीं था, ऐसी सम्पुर्ण प्रकिया प्रार्थीगण के हकों के विपरीत प्रारम्भतः शुन्य प्रकृति की है, जिससे प्रार्थीगण के हक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो सकते है। साथ ही वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य भूमि जो सरहद मौजा लक्ष्मी नगर पटवार हल्का सिणधरी में खसरा सं. 211 रकबा 4.8055 हैक्टयर व खसरा सं.212 रकबा 1.1973 हैक्टयर अवस्थित है, जिसमें रूपाराम पुत्र रताराम का देहान्त होने पर नियमानुसार फौतगी म्युटेशन प्रथम श्रेणी के वारिस प्रार्थीगण के हकपुर्वाधिकरी पिता वींजाराम व केसाराम के नाम पारित किया गया, जिसमें आज रोज भी प्रथम रूपाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 01 का नाम बतौर खातेदार दर्ज है, और बराबर हिस्से पर कब्जा काश्त कायम है, किन्तु वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थी सं. 01 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी से मिलावट कर

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर वादग्रस्त भूमि के सम्पुर्ण हिस्से में अकेले विप्रार्थी सं.01 ने अपने नाम से फौतगी म्युटेशन मंजुर करवा दिया, और प्रार्थीगण के पिता बीजाराम की हद तक म्युटेशन अस्वीकृत करवा दिया, जिसका कोई अधिकार उन्हे प्राप्त नहीं था। कि प्रार्थीगण के दादा रूपाराम का भागतः निरस्त किया गया फौतगी म्युटेशन आदेश अवैध एवं निरप्रभावी है, क्योकि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता बीजाराम का 1/2 हिस्सा रूपाराम वल्द रताराम की भूमि में जन्म से ही निहित हो गया, प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के पिता ने अपने हको का कभी भी त्याग नही किया, जिससे वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा कभी भी विनिहित नही हुआ। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है. कि पैतृक भूमि में प्रत्येक वारिसान का प्रत्येक इंच भूमि पर बराबर बराबर हक अधिकार प्राप्त होता है, अलावा इसके हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानो अनुसार एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों अनुसार प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वतः ही खातेदार टिनेन्ट हो गये है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है, कि प्रथम श्रेणी के वारिसान को पीछे छोड़कर कोई म्युटेशन पारित किया जाता है, जो ऐसे फिस्कल प्रवृति के म्युटेशन से किसी पक्ष के हकों का न तो सृजन होता है, और न ही निर्वापन ही होता है। ऐसी सम्पुर्ण कार्यवाही प्रारम्भ से ही शुन्य है, ऐसी किसी फौतगी म्युटेशन में पारित आदेश की कोई जानकारी प्रार्थीगण को नहीं होने दी। ऐसी स्थिति में जब वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा जन्म से ही निहित हो जाने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपुर्णिय क्षति प्रार्थीगण के हक पक्ष में विद्यमान है, यदि विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मालिकाना स्वामित्व की पैतृक कृषि भूमि को बेचान, हस्तान्तरण, कर देते है, या प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से बैदखल कर देते है. तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी, जिसका मुल्यांकन नकदी में करना संभव नहीं होगा, इसके विपरीत विप्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार की असुविधा व क्षति नही होगी, तथा निरर्थक अनावश्यक अन्तहीन मुकदमेबाजी में अभिवृद्धि होगी, जबकि वादग्रस्त पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है, जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सभी आधार प्रार्थीगण के हक पक्ष में विद्यमान है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध दौराने दावा इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि, विप्रार्थीगण सरहद मौजा गेहुँवाली नाड़ी पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी में स्थित खसरा सं. 163 रकबा 7.2810 हैक्टयर खसरा सं. 186 रकबा 0.2589 हैक्टयर खसरा सं. 207ध1 रकबा 2.6131 हैक्टयर कुल रकबा 10.1530 हैक्टयर का बेचान, बक्सीस, रहन ट्रांसफर इत्यादी नही करे, न ही भूमि में कोई अकृषि कार्य या निर्माण कार्य ही करें, दौराने दावा रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अपने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मौजा गेंहूवाली नाड़ी पटवार हल्का सिणधरी के खेत खसरा संख्या 163 रकबा 91.03 बीघा, खसरा संख्या 178 रकबा 08 विस्वा, खसरा संख्या 186 रकबा 1.12 बीघा एवं खसरा संख्या 207 रकबा 32.07 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 01 स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक भूमि न होकर विप्रार्थी संख्या 01 के कब्जा काश्त, मालिकाना की भूमि है, जिससे वादीगण का कोई लेना देना नहीं रहा। साथ ही वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेन्ट रूपाराम पुत्र रताराम की खातेदारी में दर्ज रही है। पारिवारिक सजरे में रूपाराम की दो पुत्रियां क्रमशः लेहरो व शान्ति का नाम अंकित नहीं होने से सजरा अधुरा प्रस्तुत किया है। कि रूपाराम के जीवनकाल में ही प्रार्थीगण के पिताध्पति बर्बीजाराम ने अपने विवाह के पश्चात् अपने ससुरालजन के पक्ष व प्रभाव में रहते हुए अपने

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पिता रूपाराम से अपने हक–हिस्से की सम्पूर्ण सम्पति का बंटवाड़ा करवाते हुए अपने सम्पूर्ण हिस्से बाबत् नकद राशि लेकर अलग हो गया था, जिसके चलते वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिताध्पति बींजाराम अपने हिस्से की भूमि का नकद प्रतिफल लेकर मिठौड़ा चला गया था, जहां पर वादग्रस्त आराजी के बदले प्राप्त नकद धनराशि से मकान बनाकर मिठौड़ा गांव में ही अपने परिवार सहित रहवास करने लगा। कि का देहान्त होने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 141 खोला जाकर रूपाराम के वारिसान के रूप में बीजा व केसा का नाम दर्ज किया तब विप्रार्थी सं. 01 व प्रार्थीगण के पिताध्पति बीजाराम स्वयं द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजी में अपने हक हिस्से की भूमि का प्रतिफल लेकर बंटवाड़ा करने के तथ्य जाहिर कर कथन किया कि "वादग्रस्त आराजी में मैंने मेरे पिता से अपने बंट की भूमि की कीमत लेकर अपना कब्जा व हक केसाराम को सुपुर्द कर दिया था, इसलिए वादग्रस्त आराजी पर मेरा कोई हक हिस्सा या कब्जा काश्त नहीं है।" ग्राम पंचायत द्वारा आम सभा में उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान वास्तविक तथ्यों से अवगत होने के साथ ही वादग्रस्त आराजी पर केवल विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम का भौतिक कब्जा होने एवं बींजाराम का भौतिक कब्जा व हक नहीं होना प्रमाणित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 141 पर इस तथ्य का अंकन करते हुए बीजाराम का नाम हटाने एवं रूपाराम के स्थान पर वास्तविक हितग्राही विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम का कब्जा व हक होने के आधार पर दिनांक 11.05.1976 को उक्त नामान्तरकरण अकेले विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम के नाम दर्ज करने का आदेश दिया था। जिससे वादग्रस्त आराजी स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 141 के आधार पर विप्रार्थी सं. 01 केसाराम की खातेदारी में दर्ज की गई थी, जो लगातार कायम है। कि नामान्तरकरण सं. 141 की स्वयं बीजाराम को पुर्ण जानकारी एवं संस्वीकृति थी एवं बींजाराम द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने पिता रूपाराम के जीवनकाल में अपने विवाह के समय ही बंटवाड़ा कर अलग होने एवं अपने हक–हिस्से की नकद राशि ले जाने के कारण अपने भावी जीवनकाल में कभी भी नामान्तरकरण सं. 141 को चुनौती नहीं दी और न ही वादग्रस्त आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों की मांग ही की, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिताध्पति बींजाराम का कोई हक हिस्सा व खातेदारी अधिकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में जब स्वयं बीजाराम का ही वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं था तो बींजाराम के वारीस प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा सृजित नहीं होता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण की कार्यवाही करने एवं किसी मृत खातेदार के हकधारियों की जांच करने का पुर्णतः विधिक अधिकार प्राप्त है, साथ ही वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के पिता/पति बीजाराम द्वारा अपने विवाह के पश्चात् अपने पिता रूपाराम के जीवनकाल में अपने हक हिस्से का विधिवित पारिवारिक बंटवाड़ा कर अपने हिस्से के प्रतिफल के रूप में नकद राशि लेकर गांव मिठौड़ा में उसी राशि से मकान बनाकर रहवास करते रहे एवं वादग्रस्त आराजी में अपने कब्जे काश्त की भूमि को विप्रार्थी सं. 01 केसाराम को सुपुर्द कर दिया था, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर लगातार निर्बाध रूप से विप्रार्थी सं. 01 केसाराम का ही खातेदार के रूप में कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी कारण मौके पर बीजाराम का कब्जा काश्त व हक नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा आम सभा में बाद विचार विमर्श व सहमति से उक्त नामान्तरकरण संख्या 141 स्वीकृत किया गया। विप्रार्थी सं. 01 केसाराम के पिता रूपाराम हिन्दु धर्म के अनुयायी रहे एवं हिन्दु विधि अनुसार अपने परिवार के कर्ता खानदान थे, साथ ही कर्ता खानदान होने से रूपाराम को अपने हिन्दु परिवार की सहदायिकी सम्पति का बंटवाड़ा करने एवं उसके संधारण करने की पुर्ण अधिकारिता थी, साथ ही रूपाराम के दो पुत्र क्रमशः बीजाराम व केसाराम के साथ ही दो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पुत्रियां लेहरों व शान्ति थी। किन्तु तत्समय पुत्रियों को सहदायिकी सम्पति में हिस्सा नहीं मिलने के चलते रूपाराम ने अपनी सम्पति जिसमें वादग्रस्त आराजी सम्मिलित थी, में प्रार्थीगण के पिता/पति बींजाराम द्वारा अपने वैद्य हक हिस्से के विभाजन की मांग की गई, जिस पर परिवार के कर्ता द्वारा बींजाराम के बंटवाड़े की मांग को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी सहित अन्य खातेदारी भूमियों का बंटवाड़ा करते हुए प्रार्थीगण के पिता/पति बींजाराम को उसके 1/2 हिस्से की सम्पति के रूप में नकद पैसा दे दिया गया, जिस पर बीजाराम द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि की नकद राशि प्राप्त होने पर वादग्रस्त आराजी सहित अन्य सम्पति में अपना हक हिस्सा विप्रार्थी सं. 01 केसाराम को सुपुर्द कर दिया था। इस बाबत् रूपाराम के देहान्त के पश्चात् प्रार्थीगण के पिता/पति बीजाराम ने वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्सा व कब्जा काश्त न होने के तथ्य भी ग्राम पंचायत की आम सभा में सरपंच व पंचों के समक्ष स्वीकार किया था। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त आराजी पर बीजाराम का कब्जा काश्त नहीं होने की जांच करते हुए वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थी सं. 01 केसाराम के नाम नामान्तरकरण से 141 के द्वारा खातेदारी दी गई थी। कि मौजा लक्ष्मी नगर पटवार हल्का सिणधरी में खसरा संख्या 211 रकबा 4.8055 हैक्टेयर व खसरा सं. 212 रकबा 1.1973 हैक्टेयर भूमि में भी बीजाराम ने अपना हिस्सा विद्यार्थी सं. 01 के हक पक्ष में छोड़ दिया था, जिस पर नामान्तरकरण संख्या 206 स्वीकृत दिनाक 15.05.1976 के द्वारा उक्त खसरा सं. 211 व 212 में बीजाराम का हक हिस्सा व कब्जा काश्त न होने एवं उसमें भी केसाराम का कब्जा होने से बींजाराम का नाम खारिज कर केसाराम के नाम नामान्तरकरण पारित किया गया था, जो नामान्तरकरण संख्या 206 के अवलोकन से उक्त तथ्य प्रमाणित होते है, तत्पश्चात् राजस्व अधिकारियों ने गलत रूप से उक्त आराजी में बीजाराम का नाम इन्द्राज कर दिया जो एक मानवीय एवं तकनीकी भूल के कारण हुआ, जिसे दुरस्त कर खसरा नम्बर 211 व 212 में प्रार्थीगण का नाम हटाकर विप्रार्थी सं. 01 की खातेदारी में दर्ज करने के लिए विप्रार्थी सं. 01 द्वारा अलग से कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता/पति बींजाराम ने वादग्रस्त आराजी सहित अपनी सम्पूर्ण सम्पति में अपने हक हिस्से व स्वामित्व की भूमि का बंटवाड़ा अपने पिता के जीवनकाल में अपने विवाह के तुरन्त पश्चात् प्रार्थी संख्या 1 से 6 के जन्म से पहले ही विधिवत् पारिवारिक सम्पति का बंटवाडा करवा कर वादग्रस्त आराजी विप्रार्थी सं. 01 केसाराम को सुपुर्द कर दिया था, इसी कारण रूपाराम क देहान्त के पश्चात् वर्ष 1976 में नामान्तरकरण सं. 141 व 206 स्वीकृत किये गये थे, साथ ही स्वयं बींजाराम ने ही उक्त तथ्यों सहित सम्पूर्ण सम्पति सहित वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थी केसाराम के हक हिस्से व कब्जे काश्त में भविष्य में कोई उजर आपति उत्पन्न नहीं हो इसी आश्य से दिनांक 23.02.1984 को 20–20 रूपये के दो स्टाम्प खरीद कर उस पर वादग्रस्त आराजी सहित अन्य खातेदारी भूमियों में अपने हक अधिकार विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम के पक्ष में हकत्याग करने का उल्लेख करते हुए अपने अगुष्ठ निशान से हकतर्कनामा निष्पादित कर नोटरी अधिवक्ता श्री बख्तावरमल जैन से नोटरी सत्यापित करवाकर विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम को सुपुर्द किया था। जिसके अवलोकन से भी प्रार्थीगण के इस पद सहित वाद पत्र में किये गए कथन झूठे होना प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में स्थापित रूप से वादग्रस्त आराजी में स्वर्गीय बीजाराम का कोई हक अधिकार शेष नहीं रहे थे एवं वादग्रस्त आराजी पर विप्रार्थी सं. 01 केसाराम वर्ष 1976 से आज दिन तक बतौर खातेदार काबिज है एवं बादग्रस्त आराजी का निर्वाध रूप से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। जब वादग्रस्त आराजी में स्व. बीजाराम का वर्ष 1960 में पारिवारिक सहमति के विभाजन पश्चात से किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व खातेदारी अधिकार नहीं थे एवं स्वयं स्वर्गीय बींजाराम ने ही वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्से व

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

कब्जे काश्त की भूमि का भौतिक कब्जा विप्रार्थी सं.01 कैसाराम को सुपुर्द किया था एवं रूपाराम के देहान्त के पश्चात् कायम नामान्तरकरण सं. 141 की पूर्ण जानकारी प्रार्थीगण के पिताध्यति बींजाराम को थी, क्योंकि ग्राम पंचायत की आम सभा में बींजाराम द्वारा पारिवारिक सम्पति का बंटवाड़ा होने से वादग्रस्त आराजी में अपना कब्जा व हिस्सा कैसाराम को सुपुर्द करने के तथ्य प्रकट करने पर ही ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण सं. 141 स्वीकृत किया गया था, जिसकी पुर्ण जानकारी बींजाराम को थी, साथ ही प्रार्थी सं. 4 व 5 भी उस समय जन्म ले चुकी थी जिससे उक्त तथ्यों की भी पुर्ण जानकारी प्रार्थी सं. 4 व 5 को थी, साथ ही स्वयं बीजाराम ने दिनांक 23.02.1984 को बाड़मेर जाकर स्टाम्प खरीद कर उस पर वादग्रस्त आराजी सहित अन्य भूमियों में अपने हक अधिकारों का त्याग विप्रार्थी केसाराम के नाम दर्ज करवा दिया था, जिसकी भी पूर्ण जानकारी प्रार्थीगण को थी, साथ ही वादग्रस्त आराजी पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त नहीं रहा एवं उक्त आराजी की खातेदारी भी विप्रार्थी सं. 01 के नाम वर्ष 1976 से लगातार दर्ज है, ऐसी स्थिति में सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु नकल लेने के तथ्य मनगढ़त अंकित किये है, क्योकि मनरेगा के तहत रोजगार सहित पिछले 40–45 वर्षों से खातेदारी भूमि पर के.सी.सी. प्राप्त होना व ऋण जारी होने, वादग्रस्त आराजी में कोई राशि किसान प्रोत्साहन राशि, के.सी.सी. व जॉब आदि योजनाओं का लाभ अकेला विप्रार्थी सं. 01 ही प्राप्त करता आया है यहं तक कि वाद प्रस्तुति के समय भी विप्रार्थी सं. 01 द्वारा अपनी जोत पर सहकारी ऋण ले रखा है, इसके पश्चात् भी प्रार्थीगण ने सहकारी बैंक को पक्षकार नहीं बनाया एवं वर्ष 2024 में पटवारी से सम्पर्क करने पर प्रार्थीगण की खातेदारी होने के तथ्य जानकारी में आना पुर्णतः मनगढ़त वर्णित किया है. इससे स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं जिससे प्रार्थीगण उक्त वाद/प्रार्थना पत्र से किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। साथ ही वादग्रस्त आराजी पर वर्ष 1960 के पश्चात् से प्रार्थीगण के पिताध्यति बीजाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही वर्ष 1976 में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 141 में भी वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण अथवा उनके पिता/पति बीजाराम का भौतिक कब्जा नहीं होने एवं भौतिक कब्जा पूर्ण रूप से विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम का होने के साथ ही स्वयं बीजाराम द्वारा दिनांक 23.02.1984 को निष्पादित हकतर्कनामा में वादग्रस्त आराजी में अपने हक अधिकारों का त्याग करने एवं वादग्रस्त आराजी पर विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम का भौतिक कब्जा होना प्रमाणित है जो राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी गिरदावरी से भी प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का पिछले 64–65 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त है। विप्रार्थी सं. 01 वादग्रस्त आराजी का खातेदार टीनेन्ट है तथा खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है. यही मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का रहा है। अगर हस्तगत प्रकरण में श्री न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो विप्रार्थी सं. 01 को अपुरणीय क्षति होगी, इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुरणीय क्षति व साम्या का पवित्र सिद्धान्त प्रार्थीगण के विरूद्ध तथा विप्रार्थी सं. 01 के हक पक्ष में विद्यमान है। प्रार्थीगण ने वर्तमान में जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण लालचग्रस्त होकर वर्तमान वाद तथा वर्तमान प्रार्थना पत्र पेश किया है. प्रार्थीगण की मंशा वर्तमान प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा कर विप्रार्थी सं. 01 से अवैद्य वसुली की है। वर्तमान प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थीगण को कोई क्षति कारित नहीं होगी। लिहाजा जब वादग्रस्त आराजी पर वर्ष 1960 के पश्चात से प्रार्थीगण के पिता/पति बीजाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं है साथ ही वर्ष 1976 में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 141 में भी वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण अथवा उनके पिता/पति

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

बींजाराम का भौतिक कब्जा नहीं होने एवं भौतिक कब्जा पुर्ण रूप से विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम का होने के साथ ही स्वयं बींजाराम द्वारा दिनांक 23.02.1984 को निष्पादित हकतर्कनामा में वादग्रस्त आराजी में अपने हक अधिकारों का त्याग करने एवं वादग्रस्त आराजी पर विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम का भौतिक कब्जा होना प्रमाणित है जो राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी गिरदावरी से भी प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का पिछले 64–65 वर्षों से लगातार कब्जा न होने के पश्चात् भी प्रार्थीगण द्वारा कब्जे के अनुतोष की मांग नहीं की गई है, इसलिए भी बिना कब्जा प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता/पति बींजाराम द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम के हक पक्ष में वैद्य मुद्रांक पर निष्पादित हकतर्कनामा दिनांक 23.02.1984 को निरस्त करवाने का कोई अनुतोष नहीं चाहा है और न नहीं इस बाबत् कोई कानूनी कार्यवाही ही की है. ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में बीजाराम द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम के पक्ष में निष्पादित हकतर्कनामा को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना विप्रार्थीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिणधरी को इस वाद/प्रार्थना पत्र में भूमि रहनग्रहिता होने के पश्चात् भी पक्षकार नहीं बनाया गया है. ऐसी स्थिति में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से ग्रसित होने से अन्तर्गत आदेश 01 नियम 09 सीपीसी के तहत प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है एवं विगत 64–65 वर्षों से वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण या उनके पिता/पति बीजाराम का कब्जा काश्त नहीं रहा। जिससे उनके खातेदारी हक धारा 63 काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके है तथा भूमि का कब्जा प्राप्त करने का हक खो चुके है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब मय विशेष आपति के तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरर्थक तथ्यों का होने से सव्यय खारिज फरमाया किया जावे।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जहां तक प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य भूमि जो सरहद मौजा लक्ष्मी नगर पटवार हल्का सिणधरी में खसरा सं. 211 रकबा 4.8055 हैक्टयर व खसरा सं.212 रकबा 1.1973 हैक्टयर अवस्थित है, जिसमें रूपाराम पुत्र रताराम का देहान्त होने पर नियमानुसार फौतगी म्युटेशन प्रथम श्रेणी के वारिस प्रार्थीगण के हकपुर्वाधिकरी पिता वींजाराम व केसाराम के नाम पारित किया गया, जिसमें आज रोज भी प्रथम रूपाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 01 का नाम बतौर खातेदार दर्ज है, और बराबर हिस्से पर कब्जा काश्त कायम है, किन्तु मौजा गेहुँवाली नाड़ी पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी में स्थित खसरा सं. 163 रकबा 7. 2810 हैक्टयर खसरा सं. 186 रकबा 0.2589 हैक्टयर खसरा सं. 207ध1 रकबा 2.6131 हैक्टयर कुल रकबा 10.1530 हैक्टयर भूमि में विप्रार्थी सं. 01 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी से मिलावट कर अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर वादग्रस्त भूमि के सम्पुर्ण हिस्से में अकेले विप्रार्थी सं.01 ने अपने नाम से फौतगी म्युटेशन मंजुर करवा दिया, और प्रार्थीगण के पिता बीजाराम की हद तक म्युटेशन अस्वीकृत करवा दिया, जिसका कोई अधिकार उन्हे प्राप्त नहीं था। कि प्रार्थीगण के दादा रूपाराम का भागतः निरस्त किया गया फौतगी म्युटेशन आदेश अवैध एवं निरप्रभावी है, क्योकि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता वीजाराम का 1/2 हिस्सा रूपाराम वल्द रताराम की भूमि में जन्म से ही निहित हो गया, प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के पिता ने अपने हको का कभी भी त्याग नही किया, जिससे वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा कभी भी विनिहित नही हुआ के आधार पर खातेदारी घोषणा का प्रश्न है के विरूद्व विप्रार्थीगण की दलील अनुसार जब वादग्रस्त आराजी पर वर्ष 1960 के

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पश्चात से प्रार्थीगण के पिता/पति बीजाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं है साथ ही वर्ष 1976 में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 141 में भी वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण अथवा उनके पिता/पति बींजाराम का भौतिक कब्जा नहीं होने एवं भौतिक कब्जा पुर्ण रूप से विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम का होने के साथ ही स्वयं बींजाराम द्वारा दिनांक 23.02.1984 को निष्पादित हकतर्कनामा में वादग्रस्त आराजी में अपने हक अधिकारों का त्याग करने एवं वादग्रस्त आराजी पर विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम का भौतिक कब्जा होना प्रमाणित है जो राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी गिरदावरी से भी प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का पिछले 64–65 वर्षों से लगातार कब्जा न होने के पश्चात् भी प्रार्थीगण द्वारा कब्जे के अनुतोष की मांग नहीं की गई है, इसलिए भी बिना कब्जा प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता/पति बींजाराम द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम के हक पक्ष में वैद्य मुद्रांक पर निष्पादित हकतर्कनामा दिनांक 23.02.1984 को निरस्त करवाने का कोई अनुतोष नहीं चाहा है और न नहीं इस बाबत् कोई कानूनी कार्यवाही ही की है. ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में बीजाराम द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 केसाराम के पक्ष में निष्पादित हकतर्कनामा को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना विप्रार्थीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिणधरी को इस वाद/प्रार्थना पत्र में भूमि रहनग्रहिता होने के पश्चात् भी पक्षकार नहीं बनाया गया है. ऐसी स्थिति में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से ग्रसित होने से अन्तर्गत आदेश 01 नियम 09 सीपीसी के तहत प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है एवं विगत 64–65 वर्षों से वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण या उनके पिताध्यति बीजाराम का कब्जा काश्त नहीं रहा। जिससे उनके खातेदारी हक धारा 63 काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके है तथा भूमि का कब्जा प्राप्त करने का हक खो चुके है के तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य में स्व. रूपाराम की फौतेदगी पर वारिसान की हैसियत से पारित ना.क.सं. 141 दिनांक 17.04.1976 पर अपने नाम का वारिसान के तौर पर राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं होने को चुनौती दी गई है। जहां तक प्रार्थीगण का वादग्रस्त में अपने आप को स्व. वींजाराम के वारिसान होने के नाते अपना हिन्दु उतराधिकार की हैसियत से अपना हक–हिस्सा होने की इस्तदुआ होने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में पैतृक खातेदारी की जोत के संबंध मे ना.क.स. 141 पारित होने के 49 साल बाद वाद प्रस्तुत करने के औचित्य के कारणों की परिदशा को स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया है, इसके साथ ही जहां तक वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की भूमि होने तथा विवाद का मुख्य कारण पैतृक खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगण अपने आप को स्व. रूपाराम की वैध वारिस होने की इस्तदुआ अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की घोषणा करवाये जाने को लेकर है, जिसका निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के किया जाना है। साथ ही निषेधाज्ञा जारी करने के मूल सिद्वान्त यथा– (1) क्या वादी को अपूरणीय क्षति पंहुचेगी? (2) क्या निषेधाज्ञा से इंकार करने पर उससे अधिक अन्याय होगा जितना कि उसे देने से होगा? (3) न्यायालय उस समय पर भी विचार करेगा जब वादी को गलत किए गये कृत्य की प्रथम बार जानकारी मिली, (4) प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन जैसे सामान्य सिद्वान्तों पर भी न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। उपरोक्त में से किसी भी सिद्वान्त को अपने पक्ष में प्रमाणित/साबित करने में सफल प्रतीत नहीं होते है जिसके आधार पर रिकार्डेड खातेदारों के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी की जा सके। यहां यह भी गौरतलब तथ्य है कि प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार नहीं है तथा पुश्तैनी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

सम्पति के घोषणात्मक दावे के आधार पर रिकार्डेड खातेदारी के विरूद्व निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते है।

उपरोक्त तथ्यों, विधिक बिन्दुओ, सिद्वान्तों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा उभयपक्ष की बहस के अवलोकन तथा मनन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विधिक सिद्वान्तों के आधार पर यह साबित करने में सफल नही होते है, कि विरूद्व विप्रार्थी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित हो।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी